अपील सूचना अधिकार संख्या 86/2018 (RCMS 2018/00206) श्री राधाकृष्ण टेकवाणी, 13, मुकर्जी नगर, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं 92520–24094) बनाम श्री गोपाल बिरड़ा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर – 335001

16.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2018 एवं दिनांक 12.10.2018 पर अमल में लाई गई कार्यवाही मय कार्यलय टिप्पणी सहित प्रमाणित प्रति देवें। पन्नों की फोटो स्टेट कॉपी संलग्न है।
2. अपील अधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय पता देवें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक एफ40(33)( )सामान्य/2018/11258 दिनांक 19.12.2018 से अपील का निम्नानुसर जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आवेदक द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी को अपना आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2018 का प्रस्तुत किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 720 दिनांक 06.11.2018 से आवेदन पत्र इस अनुभाग को भिजवाया जो दिनांक 12.11.2018 को प्राप्त हुआ। आवेदन द्वारा जो आवेदन पत्रों पत्र दिनांक 01.10.2018 एवं पत्र दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा दो आवदेन पत्रों पत्र दिनांक 01.10.2018 एवं पत्र दिनांक 12.10.2018 पर अमल में लायी गई कार्यवाही मय कार्यालय टिप्पणियों सहित प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का निवेदन किया गया था।

आवेदन को कार्यालय पत्र 10579 दिनांक 15.11.2018 से यह सूचित किया गया था कि आपका आवेदन पत्र 01.10.2018 इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है जिस पर आयुक्त नगर परिषद् से जाचं रिपोर्ट चाही गई है। जांच रिपोर्ट अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। पत्र दिनांक 12.10.2018 इस अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ हैं। पत्र दिनांक 01.10.2018 के प्रकरण की पत्रावली में आप जो भी कागजात प्राप्त करना चाहते है किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर जिस जिस कागजात की प्रति चाहिए 2/— रूपये प्रति पेज के हिसाब से राशि जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

आवेदक द्वारा अपनी अपील में उक्त पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 15.11.2018 उसे प्राप्त हो गया था लेकिन उस द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर जिस कागजात की प्रति चाहिए उसकी राशि जमा नहीं करवाई गई है। इस प्रकार इस कार्यालय द्वारा आवेदक को समय पर सूचित किया गया है। अत अपील निरस्त योग्य है। संबंधित पत्रावली संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

कृते जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का उसकी सूचनाओं के सम्बन्ध में उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के अनुसार निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला श्रीगांगनगर(शहर) को भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर